कांग्रेस की पैनल बनाने की विवादित प्रक्रिया हुई शुरू

विधायक और हारे हुए उम्मीदवारों पर निर्भरता से उभरने लगे विवाद

■ ब्लॉक, जिला से लेकर प्रदेश कांग्रेस तक पैनल बनाने की प्रक्रिया चलेगी 31 अगस्त तक

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में कांग्रेस की टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले दावेदारों से बायोडाटा लेने और पैनल बनाने की प्रक्रिया ब्लॉक कांग्रेस की बैठक से शुरू होगी और इसके लिए 21 से 24 अगस्त का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि 21 अगस्त को अधिकांश ब्लॉक में बैठक नहीं हुई है और 22 अगस्त से ब्लॉक एरिया में बैठकों का दौर शुरू होगा और उसमें दावेदार अपना दावा पेश कर सकेंगे। ब्लॉक की बैठकों के लिए जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस की ओर से विधानसभा वार नेताओं को बैठकों में जाकर प्रक्रिया पूरी करवाने की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रदेश कांग्रेस ने निर्धारित किया है कि 21 से 24 अगस्त तक सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बैठक करके दावेदारों से बायोडाटा लेंगे और फिर ब्लॉक अध्यक्ष की टिप्पणी सहित 3 से 5 नामों का पैनल बनाकर जिला कांग्रेस को भेजा जाएगा। हालांकि ब्लॉक की बैठकों को लेकर विवाद होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कांग्रेस में पिछले 25 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार विधायक या विधायक प्रत्याशी के कहे अनुसार ही ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ऐसे में ब्लॉक की बैठकों में बहुत सारी जगह से इस तरह की शिकायतें पहले ही मिलना शुरू हो गई है कि ब्लॉक अध्यक्ष विधायक या विधायक प्रत्याशी के कहे अनुसार ही लोगों को सूचना दे रहे हैं। जो लोग विधानसभा चुनाव के लिए किसी क्षेत्र में मजबूत दावेदार है, तो विधायक या विधायक प्रत्याशी उन्हें सूचना से वंचित रखने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में बैठकों में बहुत सारी जगह विवाद उभरकर आने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ब्लॉक में यदि कोई अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसके लिए जिला कांग्रेस के दरवाजे भी खुले हैं और 24 अगस्त के बाद में दावेदार जिला कांग्रेस में जाकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है और जिला कांग्रेस भी ब्लॉक से आए पैनल और खुद के पास आए बायोडाटा के आधार पर तीन लोगों के पैनल बनाकर प्रदेश कांग्रेस को भिजवाएगी। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति उन पैनल पर विचार करके अपने पास आने वाले नामों में से यदि कोई मजबूत नाम है, तो उनको भी शामिल करते हुए अंतिम पैनल तैयार करके प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई को सौंपेगी।

वहीं यदि ब्लॉक, जिला और प्रदेश कांग्रेस के पैनल में आने से कोई मजबूत दावेदार वंचित रह जाता है, या उसका बायोडाटा नहीं पहुंचता है, तो वह दावेदार सीधे स्क्रीनिंग कमेटी से भी मिलकर अपने मजबूत दावे के प्रमाण दे सकता है और यदि स्क्रीनिंग समिति उचित समझेगी, तो उसे नाम को पैनल में शामिल कर सकती है। ऐसे किस तरह से ब्लॉक से लेकर प्रदेश और स्क्रीनिंग समिति तक बायोडाटा लेने और पैनल बनाने का काम 31 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद टिकट वितरण और उम्मीदवारी तय होने की सारी जद्दोजहद दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद नेताओं से लेकर दावेदार दिल्ली में ही जोर आजमाइश करते नजर आएंगे।

प्रदेश में जानबूझकर अराजकता का वातावरण पैदा किया जा रहा है : राजेन्द्र राठौड़

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि अलवर में खाटूश्याम जा रही पदयात्रा की बस पर हमले की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं शर्मनाक है। शांतिप्रिय राजस्थान में उपद्रवियों को कानून व्यवस्था का कोई भय नहीं है। कांग्रेस सरकार के संरक्षण में जानबूझकर प्रदेश में अराजकता का वातावरण पैदा किया जा रहा है।

राठौड़ ने कहा कि राज्य में धार्मिक आस्थाओं पर हमले की यह पहली घटना नहीं है। चूरू के सुजानगढ़ में प्रसिद्ध सालासर धाम में राम दरबार को तोड़ा गया, करौली में हिन्दू नववर्ष पर जूलूस पर हमला हुआ, जोधपुर में स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुंद बिस्सा की मूर्ति तोड़ने पर दंगे हुए और राजगढ़, अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति का ही परिणाम है कि प्रदेशभर में हिन्दूओं की आस्था पर लगातार चोट पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिये।

देशभर की 23 प्रमुख हस्तियों के साथ डॉ. सतीश पूनिया सम्मानित

वाराणसी में कैरेक्टर ट्री सम्मान से राजस्थान के उप नेता प्रतिपक्ष डॉ. सतीश पूनिया को सोमवार को सम्मानित किया गया।

वाराणसी। उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया को वाराणसी में देशभर की विभिन्न क्षेत्रों की 23 प्रमुख हस्तियों के साथ राजनीतिक क्षेत्र में विशिष्ट नवाचारों के लिए पुरुषोत्तम करैक्टर ट्रीसम्मान से सम्मानित किया गया। करैक्टर ट्रीसम्मान समारोह को संबोधित करते हुये डॉ. पूनिया ने कहा कि, वैसे तो इस सम्मान से बड़ा आज श्री गुरुजी के श्रीमुख से पुरुषोत्तम का विवेचन था, जितने विराट भगवान राम जी हैं उतना ही विराट विवेचन स्वामीजी ने किया है। मुझे पता नहीं मैं इस पुरस्कार के लायक हूं या नहीं हूं, मुझे यह भी नहीं पता कि इस पुरस्कार के लिए गुरुजी ने मुझे क्यों चुना है। राजनीति और राजनेताओं के बारे में देश में धारणा अलग है, पर जैसा स्वामी जी ने पुरुषोत्तम की मीमांसा में कहा, राम संधि, समन्वय और लोकतंत्र का प्रतीक हैं, उसके प्रारूप हैं। भगवान राम में और भारत में साम्यता दिखती है, इसलिए भारत का नेतृत्व आज एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की बात करता है। मैं छोटी काशी जयपुर से आया हूं बड़ी काशी वाराणसी में, जहां गंगा का प्रवाह है और उस गंगा की गोद में खेलता हिंदुस्तान, उस हिमालय को अभिनंदन करता है, हिमालय बने प्रेरणा, मुक्ति का मार्ग गंगा हो, भारत में फिर से जन्म हो, पहचान फिर से तिरंगा हो। मुझे लगता है कि काशी में आकर जो समन्वय और संगम दिखता है, मैंने कल यही लिखा था और गुरुजी ने कहा था कि थोड़े शब्दों में एक हस्ताक्षर चाहिए तो मैंने लिखा, आध्यात्मिक ऊर्जा और सुकून वो इस काशी में मिलता है।

बता दें कैरेक्टर ट्री सम्मान से विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियों को सम्मानित किया गया, जिसमें पुरुषार्थ आश्रम हरिद्वार के श्री महामनीषी निरंजन स्वामी महाराज, राजनीतिक क्षेत्र में डॉ. सतीश पूनिया, प्रसिद्ध गायक उदित नारायण, फिल्म अभिनेता सौरभ शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. आलोक राय, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन के रवि जैन, पर्यावरणविद श्री श्री भगवान, कार्डियोलॉजिस्ट केजीएमयू लखनऊ के डॉ. शरद चंद्रा, उद्योगपति सुधीर बिंदलास, उद्योगपति अभय सिंह, फिल्म निर्माता-निर्देशक अर्जुन नित्तूर , महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपूर्वा बजाज, टीवी कलाकार तारिक शेख, सीनियर टीवी चैनल जर्नलिस्ट सौरभ शुक्ला इत्यादि सहित विभिन्न क्षेत्र की विभूतियां को सम्मानित किया गया।

''याद करोगे'' पुस्तक का विमोचन

कविवर अब्दुल अय्यूब गौरी की पुस्तक ''याद करोगे'' का विमोचन सोमवार को किया गया।

जयपुर, (का.सं.)। कविवर अब्दुल अय्यूब गौरी की पुस्तक "याद करोगे" के विमोचन समारोह में विष्णु दास नागा महाराज ने कहा इस पुस्तक के दोहे आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षाप्रद शिलालेख हैं जिसके लिए कविवर गौरी को सदैव याद किया जाएगा।

उक्त आयोजन गलता पीठाधीश्वर अवधेशाचार्यजी, विष्णुदास नागा महाराज, मौलाना शमशुल हसन इमाम मदीना जामा मस्जिद, सूर्योदय सिंह गुरुद्वारा पानीपेच, फादर डॉक्टर विजयपाल सिंह के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिथि के रूप में कविवर टीकमचंद बोहरा, किशोर कुमार अग्रवाल संरक्षक कर्मचारी फेडरेशन, डिप्टी कमिश्नर करणी सिंह, पूर्व कमिश्नर बीएल यादव, कवि शायर तबस्सुम रहमानी, मंजू शर्मा व सर्व समाज के नागरिक, कवि शायर, मौजूद थे। संचालन कलाम भारती द्वारा किया गया। उक्त आयोजन ख्वाजा गरीब नवाज अमन कमेटी द्वारा कंचन दीप विवाह स्थल झोटवाड़ा पर आयोजित किया गया।

डॉ मेजर रिजवान गौरी, इमरान गौरी हाजी मकसूद खान, हाजी रसूल खान, फारुक गनेड़ी सूबेदार भंवर अली, इलियास खान अल्लादीन खान, मोहित अग्रवाल द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया। पूर्व जिला जज अयाज मोहम्मद द्वारा आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

राज्यपाल ने रुद्राभिषेक किया

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को राजभवन स्थित राजराजेश्वर मंदिर में भगवान श्रीशिव का विशेष रुद्राभिषेक किया। उन्होंने राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र सहित परिजनों के साथ देवाधिदेव महादेव की विधिवत पूजा-अर्चना की।

राज्यपाल मिश्र ने कहा कि भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है और सावन का पूरा महीना ही भगवान महादेव की आराधना के लिए समर्पित है। उन्होंने इस अवसर पर देश और प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए भगवान से कामना की।

वीसी से पेश हुए सीएम गहलोत

जयपुर, (का.सं.)। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाले मामले में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह व उनके परिवारजनों के खिलाफ की गई बयानबाजी के आपराधिक मानहानि मामले में सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए पेश हुए। अदालत ने उनकी उपस्थिति को रिकॉर्ड करते हुए मामले की सुनवाई 28 अगस्त को रखी है। वहीं अदालत ने परिवादी के वकील को कहा है कि वह केस से जुडे दस्तावेज सीएम गहलोत के वकील को मुहैया कराए। सीएम गहलोत की वीसी के जरिए उपस्थिति के दौरान उनके वकील ने कहा की कानूनन ऐसे मामलों में परिवादी की उपस्थिति जरूरी है। परिवादी को हर पेशी पर कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है या उसे कोर्ट से उपस्थिति की छूट लेनी चाहिए। ऐसे में प्रकरण के परिवादी गजेंद्र सिंह को भी अदालत में उपस्थित होने निर्देश दिए जाए। गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने दिल्ली की निचली अदालत में संजीवनी घोटाले मामले में सीएम गहलोत के ओर से उनके खिलाफ बयानबाजी करने पर गहलोत पर आपराधिक मानहानि का परिवाद पेश किया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम कोर्ट ने सीएम गहलोत को समन जारी कर तलब किया था।

रोडवेज बसों में मिलेगी 50 प्रतिशत छूट

जयपुर। मुख्यमंत्री की घोषणा में लक्खी मेलों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों के किराये में मिलने वाली रियायत को 30 प्रतिशत से बढाकर 50 प्रतिशत किया गया था। छूट के दायरे में शामिल लक्खी मेलो की संख्या को भी 3 से बढ़ाकर 15 किया गया था।

भाजयुमो का युवा प्रतिनिधि सम्मेलन कल

जयपुर। भाजपा द्वारा प्रदेश के युवा प्रतिनिधियो का सम्मेलन बिरला ऑडिटोरियम में 23 अगस्त को आयोजित किया जायेगा। जिसके मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सी पी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश सह-प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सहित समस्त प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की जानकारी युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची ने दी।

मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को 2023 तक का दें हिसाब : सी.पी. जोशी

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन एवं मिशन पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ना कोई विजन, ना कोई मिशन, अपनी सरकार की विफलताओं को छिपाने का एक मात्र ढोंग। जनता ने आपको 2018 में मिशन 2023 दिया था, जिसमें आपकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड शून्य है। इस समयावधि में आपने प्रदेश को विकसित करने के लिए क्या कार्य किए? जनता आपकी सरकार के कार्यों की असलियत को जानती है। अपनी सरकार की विफलताओं को छिपाने और प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। अगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए तो महिला अपराध और दुष्कर्म में प्रदेश को नंबर एक बनाने का काम, दलित अत्याचार में प्रदेश को नंबर एक बनाने का काम, माफियाओं के द्वारा युवाओं की नौकरियों को बेचने का काम, किसानों से धोखेबाजी, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, महंगाई, पेपर लीक, खनन माफिया की मनमानी जैसी नकारात्मक उपलब्धियां ही नजर आएंगी। प्रदेश के लोगों को सवा चार साल अपनी थोथी घोषणाएं, तुगलकी फरमान, महंगाई से त्रस्त करने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार अंतिम समय में जनता के लिए राहत कैंप लगाती है और उम्मीद करती है कि उसे पुनः अगले 5 वर्षों के लिए सत्ता मिल जाए, उसे नैतिक रूप से ऐसी बातें करने का अधिकार नहीं है।

जो राशि जेल के लिए खर्च कर रहे हैं, उससे कम बजट में आबादी से दूर हो सकते हैं जेल : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में कैदियों के कल्याण और जेल के हालातों के मामले में राज्य सरकार को सुझाव दिया है। अदालत ने कहा है कि मौजूदा जेल परिसर घनी आबादी के बीच स्थित हैं। ऐसे में यहां राशि खर्च करने के बजाए जेल परिसर को ही आबादी से दूर शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि जालंधर सहित अन्य कई जगहों पर जेल को आबादी से दूर शिफ्ट किया गया है। इससे होने वाला खर्च अभी संसाधनों पर हो रहे खर्च से कम ही रहेगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार से पूर्व में दिए आदेश की पालना को लेकर 16 नवंबर तक का समय दिया है। सीजे एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अदालती आदेश के तहत जेल सुधार के काम कराए जा रहे हैं। वीसी के जरिए कैदियों की पेशी भी बढ़ाई गई है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार की प्रशंसा की। वहीं न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल की ओर से कहा गया कि जेल में मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति लंबित चल रही हैं। सीसीटीवी पर्याप्त नहीं है और रिकॉर्डिंग स्टोरेज की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। कैदियों की परिजनों से बातचीत के लिए लैंडलाइन फोन भी अपर्याप्त हैं। न्यायमित्र ने कहा कि विचाराधीन कैदियों में से करीब आधे कैदियों की पेशी ही नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जयपुर और जोधपुर के अलावा महिला बंदियों के लिए अलग जेल नहीं है। ऐसे में अन्य जेलों में उन्हें सेल से जेल परिसर में घूमने की छूट मिलनी चाहिए। इसके साथ ही कैदी की अप्राकृतिक मौत होने पर मुआवजे के उचित मापदंड बनाए जाने चाहिए। कई जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार से आदेश की पालना को लेकर रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को 45 बिन्दुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए थे।

'जिस रिपोर्ट के आधार पर किया मेयर का निलंबन, उसका ब्यौरा पेश करें'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर के निलंबन मामले में राज्य सरकार से कहा है कि वह उस अंतरिम रिपोर्ट का ब्यौरा अदालत में पेश करें, जिसे निलंबन का आधार बनाया था। वहीं अदालत ने सुनवाई मंगलवार को तय की है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश मुनेश गुर्जर की याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि प्रारंभिक जांच किए बिना निलंबन नहीं हो सकता। राज्य सरकार ने 5 अगस्त के निलंबन आदेश से पहले तथ्यों की कोई भी जांच नहीं की है और गलत तथ्यों पर उसे जल्दबाजी में निलंबित किया है। उस पर आरोप है कि उसके पति ने पट्टे जारी करने के नाम पर उसकी उपस्थिति में दलाल से दो लाख रुपए की रिश्वत ली। वहीं उसके घर से 40 लाख रुपए से ज्यादा रकम बरामद हुई है। जबकि पंचनामे में याचिकाकर्ता के बयान दर्ज हैं कि घटना के तीन दिन पहले उसके ससुर ने अपना प्लॉट बेचा था, जिसके रुपए घर में रखे थे। एफआईआर में भी उसका नाम नहीं है और सह आरोपी बनाए नारायण सिंह के घर से बरामद दो लाख रुपए का संबंध उससे नहीं है। ऐसे में उसका निलंबन रद्द किया जाए। वहीं एजी एमएम सिंघवी ने कहा कि जिस दिन हेरिटेज मेयर को निलंबित किया था। उस दिन ही प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए थे और अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी। मेयर शहर की प्रथम नागरिक होता है। उससे भ्रष्टाचार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मेयर के घर छह फाइले मिली थी। जिसमें रिश्वत लेकर साइन कराने थे। गौरतलब है कि एसीबी ने रिश्वत लेकर पट्टा जारी कराने की एवज में निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर और दलाल नारायण सिंह व अनिल को गिरफ्तार किया था। वहीं बाद में राज्य सरकार ने मुनेश गुर्जर को मेयर पद से निलंबित कर दिया था।

भाजपा में आज रहेगा बैठकों का दौर

जयपुर। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को बैठकर का दौड़ जारी रहेगा। इस दौरान भाजपाइयों को संगठन के विस्तार एवं चुनाव में जीत का मंत्र देने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आएंगे। बीएल संतोष भाजपा मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन एवं संकल्प पत्र समिति की बैठक लेंगे। वही प्रदेश भाजपा मीडिया एंव सोशल मीडिया की एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन ''होटल क्लार्क आमेर'' जेएलएन मार्ग पर मंगलवार सुबह किया जाएगा। कार्यशाला में प्रदेश के सभी मीडिया एंव सोशल मीडिया पदाधिकारियों सहित संगठनात्मक जिलों से जिला मीडिया संयोजक और सह-संयोजकों सहित प्रदेश प्रवक्ता और पैनलिस्ट मौजूद रहेंगे। भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ ने बताया कि कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में मीडिया एंव सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, समन्वय, प्रबंधन, कार्य विभाजन, प्रेसवार्ता, डिबेट, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और मीडिया टीम से अपेक्षाओं पर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एंव सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड संबोधित करेंगे।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम सॉंभरिया, पटवार हल्का सॉंभरिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सॉंभरिया तहसील बस्सी जिला जयपुर में खाता संख्या नया 373 व पुराना 252 खसरा नम्बर 259/8 रकबा 0.1897 है. व खसरा नम्बर 862/259 रकबा 1.9093 है. कुल रकबा 2.0990 हैक्टेयर में से हिस्सा जो कि मन्ना लाल मीणा पुत्र श्री चौथू राम मीणा निवासी ग्राम रायपुरिया खुर्द, बदपदमपुरा, देवकीनंदनपुरा, चाकसू के खातेदारी काश्त की भूमि स्थित है जो कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यह कि श्री मन्ना लाल के हिस्सा कृषि भूमि को श्रीमती मिश्री देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम ठेकड़ा, रामगढ़ ने क्रय करने का इकरार किया है। यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथि से सात दिवस तक की अवधि में सम्पर्क करें। सूचित रहें।
जयपुर — भवदीय, मिश्री देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश,
दिनांकः 21.8.23 — निवासी ग्राम ठेकड़ा, रामगढ़, जिला दौसा
जरिये, नरेन्द्र मोहन शर्मा, एडवोकेट, मो.: 9414322197

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार सिविल (मुतफर्रिक) वाद सं. 804/2023
विषय:- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी :
शुभन कॉल पुत्र स्व. श्री किशनलाल कॉल आयु 74 वर्ष, निवासी-फ्लैट संख्या-505, श्री गोवर्धन हाईट्स, मुहाना मण्डी रोड, ईस्कॉन मंदिर के पीछे, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान, स्थायी निवासी-225 एवं 256, पदमावती-ए कॉलोनी, निर्माण नगर, जयपुर, राजस्थान
मृतक- श्रीमती संतोष कान्नु की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक :- 8.9.2023
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/ प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक श्रीमती संतोष कान्नु पत्नि श्री पी.एल. कान्नु पुत्री श्री किशनलाल कॉल निवासी-225 एवं 256, पदमावती-ए कॉलोनी, निर्माण नगर, जयपुर, राजस्थान, का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 8 माह 9 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 14 माह 08 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
(मुहर) — आज्ञा से

नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर)
(आयोजना प्रकोष्ठ)
क्रमांक :- एफ-13( )उपा.आयो/जनि./2023/345 दिनांक : 21/08/23
सार्वजनिक विज्ञप्ति
विषय :- राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति।
नगर निगम, जयपुर में निम्न वर्णित भूखण्ड धारक ने कॉलम 4 में वर्णित मास्टर विकास योजना 2025 (जयपुर रीजन) में निर्धारित भू-उपयोग का कॉलम 5 में वर्णित भू-उपयोग हेतु आवेदन किया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम, भूखण्ड संख्या योजना का नाम	भूखण्ड का क्षेत्रफल व उपयोग	मास्टर प्लान (2025) अनुसार भू-उपयोग	आवेदक द्वारा चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5
1	मै0 स्काई लाईट बिल्डकॉम जरिए पार्टनर श्री कैलाश चन्द गुप्ता भू0 सं0 78/13 बी (7-आर -1) शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर	1120.00 वर्गमी. (आवासीय)	मिश्रित	मिश्रित

यदि किसी व्यक्ति/संस्था को उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि तक अपनी आपत्ति/सुझाव कारणों सहित नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के आयोजना शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं।
महेन्द्र सोनी (IAS) आयुक्त नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) तहसील-पावटा
क्रमांक-148-150 — दिनांक-21/8/23
प्रेस विज्ञप्ति
सर्व साधारण को जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में ग्राम पावटा के ख.न.1779/2399 रकबा 0.30 है. किस्म गै.मु.आबादी के राजस्व रिकॉर्ड में ''स्थगन सिविल कोर्ट'' का अंकन हटाये जाने का प्रकरण विचाराधीन हो, उक्त ख.न. पर अंकित स्थगन सिविल कोर्ट में किसी न्यायालय का नाम, मु.न., उनवान, स्थान आदि का उल्लेख नहीं है। उक्त प्रकरण से हितबद्ध व्यक्ति किसी भी प्रकार की सूचना, दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत करना चाहे तो स्वयं अथवा अपने प्लीडर के माध्यम से कार्यालय समय में दिनांक 28/8/23 तक प्रस्तुत कर सकता है।
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील-पावटा
जिला-कोटपूतली-बहरोड

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम संख्या-4, जयपुर-प्रथम
दुर्गालाल बनाम मदनमोहन तिवाडी
दावा बाबत CMA
मुकद्दमा नं. अपील नं.63 सन् 2015
Cis No. (14/2015)
बनाम- (1) Smt. Usha Devi Widow, 2. Vandana Daughter In Law, 3. Mapel Mohal, Grand Son, 4.Karan, Grand Son, 5. Smt. Ritu W/o Rajeev, Daughter, 6. Smt. Shikha W/o Ashok, Daughter R/o Tiwari Ki Dharmshala, Sadar Thane Ke Pas, Station Road, Jaipur
मुसम्मी...वल्द.... कौम..... साकिन..... परगना..
चूंकि..... ने इस अदालत में तारीख..... माह..... सन् 20.... को 1...... बनाम 2...... दायर की जो कि बाद में फोत हो गया और चूंकि..... मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी..... मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3......बनाये जावें।
लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाबदेही 1...... आपको तारीख 1 माह 9 सन् 2023 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकद्दमा आपकी गैर हाजिरी में सुना व फैसला किया जावेगा।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 8 सन् 2023 को जारी किया गया।
आज्ञा से-रीडर/शरिस्तेदार
(मोहर अदालत) अपर जिला एवम् सैशन न्यायाधीश क्रम-4, जयपुर महानगर (प्रथम)

खोया पाया
मेरे मकान 13/329 प्रथम तल मालवीय नगर जयपुर के मूल दस्तावेज आवंटन पत्र, डिक्लेरेशन, डिमाण्ड लैटर, कार्यालय आदेश, नियमितीकरण, अदैय प्रमाण, लीजमुक्ति प्रमाण पत्र निर्माण नगर जयपुर में कहीं गिर गये है। मिलने पर सूचित करे- जिया आहुजा 9509333111

नाम परिवर्तन
मैंने अपना नाम Javed Kureshi से बदलकर Javed Qureshi पुत्र सिराजुद्दीन निवासी 14, शारदा कॉलोनी जयसिंहपुरा खोर, जयपुर रख लिया है, भविष्य में मुझे Javed Qureshi के नाम से जाना जावें।

मैं सालोनी जैन पत्नी रोहन जैन विवाह उपरांत मैंने अपना नाम सलोनी विनोद कासलीवाल से बदलकर सलोनी जैन रख लिया है अतः भविष्य में मुझे सलोनी जैन के नाम से जाना पहचाना जावे।

मैंने अपना नाम विरेंद्र कुमार जैन से बदलकर विरेंद्र टकसाली जैन रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवम् पहचाना जाए ।विरेंद्र टकसाली जैन एफ-3 प्लाट न.70-71 मिथला विहार- 1 जगतपुरा 302017

मैंने अपना नाम रमेश चंद यादव से बदलकर रमेश यादव पुत्र बाछू लाल यादव निवासी 242, अमर नगर- सी, खातीपुरा, जयपुर कर लिया है। भविष्य में रमेश यादव द्वारा जाना जाएगा।

मैंने अपना नाम बदरूनिशा पत्नी मोहम्मद सफीक से बदलकर बदरूनिसा पत्नी डॉक्टर मोहम्मद शफीक रख लिया।

मैंने अपना नाम मोहम्मद शफीक और मेरी पत्नी का नाम बदरुन्निशा से बदलकर डॉ. मोहम्मद शफीक और मेरी पत्नी का नाम बदरुन्निसा रख लिया है।

दि जयपुर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
F1, नर्सरी सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर Pin-302021
Ref.:JCCB/Ope/2023-24/12555 Date:20/5/2023
निविदा सूचना
बैंक द्वारा कम्प्यूटर डेस्कटॉप की क्रय हेतु टेन्डर किया जाना है। इच्छुक फर्मे दिनांक 01.06.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आवेदन कर सकती है, तत्संबंधी निविदा प्रारूप/दस्तावेज बैंक वेबसाइट https://www.ccbjaipur.com, https://sppp.rajasthan.gov.in एवं https://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
Tender Ref.No. JCCB/ope/2023-24/12555-1
UBN-TJC2324GLOB00001
(एम.एल.गुर्जर) प्रबन्ध निदेशक

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR
First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur- 302015
Case No.: OA/562/2023
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act. read with sub-rule (2-A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993
Exh.No.:9176
PUNJAB NATIONAL BANK
VS
MS POOJYA SHREE KUMAWAT
To,
(I) MS POOJYA SHREE KUMAWAT D/W/S/O-SHRI VIRDHI CHAND KUMAWAT 22, AVADHPURI COLONY, JANPARH, TONK ROAD, JAIPUR Jaipur, RAJASTHAN-302015
(2) SHRI VIRDHI CHAND KUMAWAT S/O BADU RAM KUMAWAT 22, AWADHPURI COLONY JANPATH TONK ROAD JAIPUR, RAJASTHAN -302015
(3) SMT SARLA KUMAWAT W/O VIRDHI CHAND KMAWAT 22, AWADHPURI COLONY JANPATH TONK ROAD JAIPUR
(4) RADHE SHYAM KUMAWAT S/O BODU RAM KMAWAT 22, AWADHPURI COLONY JANPATH TONK ROAD JAIPUR, RAJASTHAN
SUMMONS
WHEREAS, OA/562/2023 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 26/05/2023.
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 2003639/- (application along with copies of documents etc. annexed).
In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under-
(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed fur should not be granted;
(ii) to disclose particulars of properties-or assets other than properties and assets specified by the applicant under aerial number 3A of the original application;
(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties:
(iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;
(v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the hank or financial institutions holding security interest over such assets.
You ifre also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 30/08/2023 at 10:30A.M. failing which the application shall be heard and decided in your ahsenee.
Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date:03/06/2023.
(SEAL) ASSISTANT REGISTRAR DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR

आम सूचना
'राजकुमार यादव पुत्र श्री रामनिवास यादव, जाति-यादव, उम्र 28 वर्ष, निवासी- मकान नं. 13, बालाजी धाम निवास, लिंक मार्ग, निवारू रोड, गोविन्दपुरा, जयपुर ने मेरी अभिभाष्या फर्म बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि॰, जयपुर की योजना रिद्धि-सिद्धि नगर - VIII स्थित गोविन्दपुरा, निवारू रोड, जयपुर के भूखण्ड सं. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 के दस्तावेज पेश कर अपना नाम संशोधित करने बाबत कार्यालय में प्रस्तुत किये तथा संशोधित पट्टे जारी करने बाबत समित से कहा गया। यदि उक्त भूखण्डों के संशोधित पट्टे, रसीदे व साईड प्लान जारी करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था, समिति या संगठन को कोई आपत्ति हो तो वो समिति कार्यालय में या मेरे कार्यालय में उक्त सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सम्पर्क करे बाद मियाद गुजरने के कोई उज्र मान्य नहीं होगा। भवदीय-
(हेमन्त कुमार पलोड़) एडवोकेट, मो. नं. 9314511091

उत्तर पश्चिम रेलवे
खुली ई-निविदा सूचना
भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी और से उप मुख्य अभियन्ता निर्माण, उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए निर्धारित इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट पर ऑन लाइन खुली ई - निविदा (दो पैकेट प्रणाली) आमंत्रित करते है। निविदा सूचना संख्या : उपरे-एससी- बीकेएन -08-2023-24. कार्य का नाम स्थान सहित : मनहेरु - बवानी खेड़ा दोहरीकरण परियोजना के संबंध में मनहेरु से बवानी खेड़ा खंड भिवानी बाईपास सहित, पर फॉर्मेशन के लिए मिट्टी की कटाई व भराई का कार्य , ब्लंकेटिंग, ट्रॉली रिफ्यूज, टो वॉल, रिटेनिंग वॉल, पिचिंग, छोटे पुलों,एलएचएस, एफ ओ बी, प्लेट फार्म, प्लेट फार्म शेड, एसएंडटी स्ट्रक्चर, स्टाफ क्वार्टर का निर्माण और अन्य सहायक कार्य करना। कार्य की अनुमानित लागत : रु, 90,90,56,609.53 । जमा की जाने वाली बिड सिक्योरिटी (धरोहर राशि): रु. 46,95,300/-। निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक : 15.09.2023 को 15.00 बजे तक । प्री बिड कोन्फ्रेस की दिनांक, समय व स्थान : प्री बिड कोन्फ्रेस की दिनांक:- 28.08.2023 । प्री बिड का समय:- 11.30 बजे AM । प्री बिड का स्थान:- कार्यालय उप मुख्य अभियन्ता निर्माण उत्तर पश्चिम रेलवे, ढोला मारू होटल के सामने, 30 सिविल लाइंस बीकानेर (राजस्थान) । वेबसाईट का विवरण, जहां पर ई-निविदा देखी व भरी जा सकती हैं : www.ireps.gov.in कार्यालय ई-मेल का पता : dycec@bkn.railnet.gov.in । नोट :- 1. कोई भी निविदा व्यक्तिगत रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। 2. बिड सिक्योरिटी (धरोहर राशि) का भुगतान नकद ई पेमेंट गेट वे द्वारा अथवा भारत स्थित किसी scheduled commercial bank द्वारा जारी बैंक गारंटी बॉन्ड अथवा निविदा दस्तावेज़ में उल्लेखित अनुसार किया जाना चाहिए। बैंक गारंटी बॉन्ड वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी निर्माण उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के पक्ष में ही जारी किया जाना चाहिए अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
874-AK/23
हमें /NWRailways पर फॉलो करें